अध्याय
10

# संविधान का राजनीतिक दर्शन

## सीखने के प्रतिफल

इस अध्याय से बच्चे संविधान में निहित विभिन्न बातों को सीखेंगे

समानता स्वतंत्रता बंधुत्व की भावना राष्ट्रीय एकता और अखंडता समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि आदर्शों का हमारे संविधान में समावेश

हमारे संविधान के इन्हीं अंतर्निहित दर्शन को समझना ही राजनीतिक दर्शन है

## परिचय:-

भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन में हमारी राष्ट्रीय विचारधारा निहित है

**संविधान के दर्शन का आशय**

- संविधान के दर्शन का आशय उन आदर्शों से हैं जिनसे भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ और उन नीतियों से हैं जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है
- हमें जानना चाहिए कि संविधान में व्यवहारिक पदों जैसे- अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र की संभावित अर्थ क्या है
- हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है
- संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उनपर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए

© JCERT not to be republished

**संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन**

- संविधान को स्वीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना
- संविधान किसी भी राज्य के शक्तिहीन अथवा शक्तिशाली सभी के लिए समानता प्रदान करता है
- संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है
- भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच-नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ।
- संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देती है।
- सभी महिला एवं पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुका है वयस्क नागरिक कहलाता है।

**हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है।**

- संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय विचारधारा ही हमारे संविधान में समाहित है।
- समानता स्वतंत्रता बंधुत्व की भावना राष्ट्रीय एकता और अखंडता समाजवाद धर्मनिरपेक्ष अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान सर्वभौम मताधिकार संघवाद आदि आदर्शों का हमारे संविधान में समावेश है और यही हमारी राजनीतिक दर्शन है।
- धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। लेकिन राज्य का कोई अपना राजधर्म नहीं होगा।
- सत्य और ज्ञान की खोज में किसी विषय वस्तु पर जब गहन चिंतन मनन किया जाता है तो उसे दर्शन कहा जाता है।
- जब यह चिंतन मनन किसी राजनीतिक विषयों पर होती है तो उसे राजनीतिक दर्शन कहा जाता है।
- इन सारी बातों पर गहन अध्ययन करने के साथ ही संविधान का जोर इस बात पर होता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए।

© JCERT not to be republished

**आलोचना**

- संविधान के आलोचकों ने अनेक प्रकार से संविधान का आलोचना किया है।
- यह संविधान अस्त-व्यस्त है।
- इसमें सबकी प्रतिनिधित्व नहीं हो सकी है
- यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।
- भारतीय संविधान एक विदेशियों का नकल दस्तावेज है।
- यह बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और कुछ अंश विदेशी है लेकिन इससे यह पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता क्योंकि अनेक भारतीय ने आधुनिक तरीके से बहुत चिंतन मनन करने के बाद ही संविधान को बना पाया है।
- संविधान निर्माताओं ने यह कोशिश की है कि हमारे संविधान में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के अच्छी से अच्छी बातों को समावेश किया जाए
- यह संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है न की नकल का।

**संविधान की सीमाएं**

- भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धरना बहुत ही केंद्रीयकृत है।
- इसमें लिंगगत-न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठिक से ध्यान नहीं दिया गया है
- यह भी स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के वजाय राज्य के नीति निदेशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया है।

© JCERT not to be republished

## स्मरणीय तथ्य:-

- इस अध्याय से हमने जाना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसके मूल में भविष्य के प्रति एक दृष्टि है और इस दृष्टि को सबकी सहमति है।
- संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद सिन्हा एवं स्थाई अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया।
- हमारे संविधान में कुछ सीमाएं है लेकिन हर भारतीय का संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास है
- हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद बन कर तैयार हुआ।
- संविधान को 26 नवंबर 1949 ई० में स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 ई० को लागू कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया गया
- 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

© JCERT not to be republished

## महत्वपूर्ण प्रश्न

### बहुविकल्पीय प्रश्न:-

1. वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है?

   a. 16 वर्ष  b. 18 वर्ष

   c. 21 वर्ष  d. 25 वर्ष

2. संविधान को बनने में कितना दिन लगा था?

   a. 2 वर्ष 2 माह और 11 दिन।

   b. 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।

   c. 2 वर्ष 11 माह और 11 दिन

   d. 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन।

3. भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया?

   a. 26 नवंबर 1950

   b. 26 जनवरी 1950

   c. 26 जनवरी 1949

   d. 26 नवंबर 1949

4. सार्वभौम मताधिकार क्या होता है?

   a. सभी व्यस्क नागरिक

   b. पुरुष नागरिक

   c. इनमें से कोई नहीं

   d. महिला नागरिक

5. धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है?

   a. जिस राज्य का अपना राजकीय धर्म हो।

   b. जिस राज्य का अपना राजकीय धर्म ना हो।

   c. वह राज्य जो किसी एक धर्म को बढ़ावा दें।

   d. इनमें से कोई नहीं।

### लघु उत्तरीय प्रश्न:-

6. राजनीतिक दर्शन से क्या अभिप्राय है?

7. संविधान किस तरह से गरीब एवं शक्तिहीन लोगों का रक्षा करता है?

8. हमारे संविधान के क्या-क्या सीमाएं हैं लिखें।

### दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:-

9. संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। कैसे वर्णन करें।

10. हमारे संविधान के मूलभूत बातों का वर्णन करें।

© JCERT not to be republished